संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / /रा0बी.स0नि0/2015–16/... 111 भोपाल, दिनांक ..8../03/2016

प्रति,

समस्त
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय :– राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र ।

---000---

विषयांतर्गत राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में शिथिलता बरती जा रही है जिला स्तर पर भी जो प्रभावी प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो रहे है ।

इस पत्र से संलग्न राशि का उपयोग का पत्रक आपके जानकारी हेतु प्रेषित है जनवरी 2016 अंत तक की स्थिति में जो राशि व्यय हुई है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से प्राप्त कर संचालनालय की राज्य बीमारी सहायता निधि शाखा को उपलब्ध कराये अन्यथा इस मद में आपको जिले को राशि नहीं भी प्रदान हो सकती है एवं इस हेतु आप एवं लेखापाल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे ।

ऐसे अस्पताल जो राशि की यू.सी. नहीं दे रहे है एवं शासकीय धन अवरूद्व किये हुये है, हिसाब नहीं दे रहे है, उनको ब्लैक लिस्टेड करने, शासकीय धनराशि मय ब्याज के वसूल करने के प्रस्ताव संचालनालय को अंत्यंत शीघ्र उपलब्ध कराये । विभिन्न ऑडिट प्रतिवेदनो में यू.सी. प्राप्त ना होने संबंधी आपत्तियॉ ली गई है, इनको बारिकी से देखे एवं इन आपत्तियो का निराकरण करवाये ।

कृपया ध्यान दे, कि यह वित्तीय प्रकरण है, एवं यदि इस संबंध में शिथिलता बरती गई तो आप समुचित कार्यवाही नहीं कर रहे है, एवं पूर्व संबंधी जिन्होने कार्यवाही नहीं की है, सभी संबंधित निश्चित रूप से उत्तरदायी होगे एवं अप्रिय स्थितियों का सामना करना होगा ।

<u>संचालक, वित्त द्वारा आदेशित</u>

(डॉ. राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

निरंतर–2

पृ.क्रमांक / /रा0बी.स0नि0/2015–16/... 112 भोपाल, दिनांक 8./03/2016

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त/मिशन संचालक,एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें की ओर सूचनार्थ कृपया आपके क्षेत्राधिकार में अनुश्रवण करें ।
4. उप संचालक, राज्य बीमारी सहायता निधि की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आप इस संबंध मे शासन हित में जिलो का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें एवं प्रकरण प्रस्तुत करें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी ग्वालियर एवं राजगढ पत्रक देखे एवं कृपया स्पष्ट करे कि आपके यहॉ प्रकरण नहीं है, यदि आपको आवश्यकता नहीं है, तो आपने राशि समर्पित क्यो नहीं की स्पष्टीकरण दे ।
6. प्रभारी एम.आई.एस. कृपया विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश